भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 6038
जिसका उत्तर बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 को दिया जाएगा

खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी विफलताएँ

6038. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में दालों, खाद्य तेलों, सब्जियों और अनाजों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि पर ध्यान दिया है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो सुरक्षित भंडार नीतियों, बाजार हस्तक्षेप योजनाओं और जमाखोरी विरोधी उपायों के बावजूद कीमतों में निरंतर अस्थिरता के क्या कारण हैं;
(ग) कृत्रिम मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों, दर्ज किए गए जमाखोरी के मामलों और लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति के दबाव से उन्हें बचाने के लिए कीमतों की कड़ी निगरानी, पारदर्शी भंडार प्रकटीकरण मानदंड, मुनाफाखोरी के विरुद्ध कड़े प्रवर्तन और प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप का विचार है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) एवं (ख): उपभोक्ता मामले विभाग देश भर के 578 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 40 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की कीमतें काफी हद तक स्थिर और नियंत्रण में हैं।

खाद्य पदार्थों की कीमतें अस्थिर रहती हैं क्योंकि ये उत्पादन में मौसमीपन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि कई कारकों से प्रभावित होती हैं। सूरजमुखी और सरसों के तेल जैसे खाद्य तेलों की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि दालों, अनाज और सब्ज़ियों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

(ग) एवं (घ): दैनिक मूल्य निगरानी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, उपभोक्ता मामले विभाग ने मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा दैनिक मूल्य डेटा की रिपोर्टिंग के लिए मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) मोबाइल ऐप विकसित किया है। पीएमएस मोबाइल ऐप के माध्यम से रिपोर्ट किए गए डेटा को यह सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैग किया जाता है कि रिपोर्टिंग बाजार स्थानों से हो और इसमें मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए तीन संग्रह केंद्रों के औसत मूल्य की स्वचालित गणना और रिपोर्टिंग की इन-बिल्ट सुविधा है। ग्राफिकल विज़ुअलाइज़ेशन, हीट मैप, वस्तुओं और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तुलना आदि के माध्यम से मूल्य डेटा के विश्लेषण के लिए एक एनालिटिकल डैशबोर्ड विकसित किया गया है। कीमतों की दैनिक रिपोर्ट और सांकेतिक मूल्य रुझानों का विधिवत विश्लेषण उचित निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जैसे कि बफर से स्टॉक जारी करना, स्टॉकधारक संस्थाओं द्वारा स्टॉक का प्रकटीकरण, स्टॉक सीमा लागू करना, आयात शुल्क के युक्तिकरण, आयात कोटा में परिवर्तन, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीतिगत उपकरणों में परिवर्तन करना।

दालों के स्टॉक की निगरानी करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने स्टॉक रखने वाली संस्थाओं— नामतः व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों और संगठित खुदरा श्रृंखलाओं—को निर्देश दिया है कि वे साप्ताहिक आधार पर स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp/ पर अपने दालों के स्टॉक की जानकारी दें। स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल के अनुसार, 22.03.2026 तक पूरे भारत में कुल 26668 व्यापारी, डीलर, मिलर, आयातक, स्टॉकिस्ट और बिग चेन रिटेलर पंजीकृत हैं, जिनके पास दालों—अर्थात् चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर और सूखी मटर—का कुल 5170282.56 मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा, जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई की लगातार निगरानी ऑनलाइन एटीआर पोर्टल, अर्थात् https://fcainfoweb.nic.in/ecre के माध्यम से की जा रही है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत की गई कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

वर्ष	**मारे गए छापो की संख्या**	**गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या**	**जब्त किए गए माल का मूल्य (करोड़ रुपये में)**
2024	1,23,406	21,040	2,425.55
2025	1,02,378	17,402	120.13
